

कार्यालय संचालक  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय  
ब्लॉक 2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन,  
अटल नगर, नवा रायपुर  
(E mail ID - directorateoffood@gmail.com)



क्रमांक 95 /स्था.-संचा/182-22/2022

नया रायपुर, दिनांक 4/1/2022

खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती  
से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1-18/खाद्य/2011/29-1 (पार्ट-2), दिनांक 23.09.2021 के परिपेक्ष्य में "छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (अराजपत्रित कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2013" के प्रावधान अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में "खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक" के 84 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट [Vyapam.cgstate.gov.in](http://Vyapam.cgstate.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं ।

2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है-



1. परीक्षा की तिथि
2. परीक्षा का समय
3. परीक्षा केन्द्र
4. परीक्षा शुल्क -

परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगा -

सामान्य वर्ग

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि -
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि
3. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि

44



3. रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	वर्ग	पद संख्या					शैक्षणिक योग्यता	
				अनारक्षित	महिला	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन	योग		
1	खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक	वेतन मेट्रिक्स लेवल-7	अनारक्षित	18	11	4	3	02 पद अस्थि बाधित 01 पद श्रवण बाधित	36	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण कर्ता हो ।
			अनुसूचित जाति	5	3	1	1	श्रवण बाधित	10	
			अनुसूचित जनजाति	15	8	2	1	श्रवण बाधित	26	
			अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	7	3	1	1	अस्थि बाधित	12	
			योग	45	25	8	6	84		



4. आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला तथा अन्य पात्र अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जावेगी, किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर, उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट :-

- विज्ञापन में उल्लेखित रिक्त पदों का प्रवर्गवार आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटीशन-सी क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन होगा।
- विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाईट [Vyapam.cgstate.gov.in](http://Vyapam.cgstate.gov.in) पर देखा जा सकता है।
- पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।

5. पात्रता की शर्तें :-

- 5.1 शैक्षणिक योग्यताएं :- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण कर्ता हो ।
- 5.2 आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है ।

4





## 6. नियुक्ति हेतु चयन विधि -

- i. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी ।
- ii. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पास सुरक्षित रहेगा ।
- iii. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- iv. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry forward) नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है ।
- v. निःशक्तजन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।
- vi. विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित विकलांग कृपया आवेदन न करें ।
- vii. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- viii. यह नियुक्ति छ.ग. राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छ.ग. राज्य के किसी भी विकासखंड/जिलों में पदस्थापना दी जाएगी ।
- ix. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 03 वर्ष की परीविक्षा अवधि पर की जाएगी ।  
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
- x. व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसिलिंग की कार्यवाही की जावेगी । अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज मूल रूप में तथा सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा । दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी ।
- xi. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी । जिन अभ्यर्थियों के उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी ।
- xii. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें । काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।

नोट- लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा । इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा ।

4



## 7. परीक्षा पाठ्यक्रम –

खाद्य निरीक्षक की भर्ती हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन-छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान/चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सौर्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसके चार विकल्प में से एक सही होगा।

पाठ्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है-



### 1. सामान्य ज्ञान (150 अंक) –

- गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी।
- वर्तमान की समसामयिक घटनाएं।

### 2. अन्य (50 अंक)-

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन-छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान/चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सौर्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान।

परीक्षा निर्देश – व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट [Vyapam.cgstate.gov.in](http://Vyapam.cgstate.gov.in) पर उपलब्ध है।

अपर संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.  
संचालनालय, नया रायपुर

